न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर डूंगरपुर (राजस्थान)
पीठासीन अधिकारी दिनेश धाकड, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 68 / 2025
जीसीएमएस नम्बर 2025 / 68

दायर दिनांक– 22.07.2025
निर्णय दिनांक– 02.12.2025

उनवान

श्री सरकार बजरिए भूमिधारी तहसीलदार आसपुर जिला डूंगरपुर .....प्रार्थी

बनाम

1. श्री शंकरलाल पिता छबीलाल सोनी निवासी बडौदा तहसील आसपुर जिला डूंगरपुर (फौत) –

वारीसान –

(1/1) पंकज कुमार पिता स्व. शंकरलाल
(2/1) दिनेश कुमार पिता स्व. शंकरलाल
(3/1) पवन कुमार पिता स्व. शंकरलाल
(4/1) लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 शंकरलाल
(5/1) मेना पुत्री स्व0 शंकरलाल
(6/1) नारायणी देवी पत्नि स्व0 शंकरलाल

....विपक्षीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत राजस्थान भू–राजस्व
(निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन)
नियम, 1986 के नियम 18 के तहत

उपस्थितः– 1. राजकीय पेरोकार तहसीलदार आसपुर ....प्रार्थी

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

—:निर्णय:—

दिनांक— 02.12.2025

1 इस प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि विपक्षी शंकरलाल पिता छवीलाल सोनी निवासी बडौदा के नाम आदेश कमांक /एसडीओ/निजीवन/भू0अ0/6534—36 दिनांक 30.5.1985 द्वारा मौजा बडौदा के आराजी नम्बर 5899/5547 रकबा 1.6180 है0 किस्म सुखी तृ0 भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष हेतु लीज पर आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा मौजा बडौदा के खसरा न0 5899/5547 रकबा 1.6180 है0 आवंटित भूमि में करीब 25 वर्ष से अधिक समय अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त आवंटित भूमि में कोई वृक्ष नही लगाया है। भूमि वर्तमान में पडत है। पटवारी हल्का बडौदा द्वारा संलग्न पर्चा मौका के अनुसार आज दिनांक तक आवंटित भूमि मे कोई वृक्ष नहीं लगाया गया है। आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र आवंटन निरस्ती हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षी को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी को नोटिस की विधिवत तामील होने के उपरान्त नियत दिनांक 17.11.2025 को न्यायालय में उपस्थित नही हुए, ऐसी परिस्थिति में विपक्षी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए पत्रावली में पेरोकार सरकार की एकतरफा बहस समायत की गई।

3. अपीलाण्ट अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में अपील प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि विपक्षी शंकरलाल पिता छबीलाल सोनी निवासी बडौदा के नाम आदेश कमांक /एसडीओ/निजीवन/भू0अ0/6534—36 दिनांक 30.5.1985 द्वारा मौजा बडौदा के आराजी नम्बर 5899/5547 रकबा 1.6180 है0 किस्म सुखी तृ0 भूमि निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा मौजा बडौदा के खसरा न0 5899/5547 रकबा 1.6180 है0 आवंटित भूमि में करीब 25 वर्ष से अधिक समय अवधि व्यतीत होने के उपरान्त भी उक्त आवंटित भूमि में कोई वृक्ष नही लगाया है । भूमि का वर्तमान पडत के रूप उपयोग किया जा रहा है। अतः आवंटन शर्तो का उल्लंघन करने से आवंटन निरस्त फरमावे।

4 हमने बहस पर मनन किया ।

5. पत्रावली पर प्रस्तुत रिकार्ड एवं तथ्यों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। विपक्षी शंकरलाल पिता छबीलाल सोनी निवासी बडौदा के नाम आदेश कमांक /एसडीओ/निजीवन/भू0अ0/6534—36 दिनांक 30.5.1985 द्वारा मौजा बडौदा के आराजी नम्बर 5899/5547 रकबा 1.6180 है0 किस्म सुखी तृ0 भूमि निजी वन विकास हेतु 25 वर्ष हेतु लीज पर आवंटन की गई थी। प्रार्थी पेरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के साथ पटवारी हल्का द्वारा मुर्तिब पर्चा मौका दिनांक 05.07.2025 अनुसार आराजी में आवंटन से आज दिनांक

दिनेश धाकड़
अति. जिला कलक्टर, डूंगरपुर

तक कोई भी वृक्ष नहीं लगाया है। प्रार्थी को निजीवन हेतु भूमि 25 वर्ष के लिए लीज पर आवंटित की गयी। जिसकी अवधी वर्ष 2010 में पूरी हो चुकी है।

राजस्थान भू–राजस्व (निजी वन विकास हेतु अकृष्य बन्जर भूमि का आवंटन) नियम, 1986 के नियम 13(3) के अनुसार आवंटी विपक्षी को प्रथम वर्ष में आवंटित भूमि के एक तिहाई क्षेत्र में, द्वितीय वर्ष में दूसरे एक तिहाई क्षेत्र में तथा तृतीय वर्ष में शेष क्षेत्र में वन विभाग द्वारा सुझाई प्रजाति के वृक्ष लगाना था, विपक्षी को भूमि आवंटित हुई करीब 40 वर्ष हो चुके है, किन्तु विपक्षी द्वारा आवंटित भूमि में आदिनांक तक वृक्ष नहीं लगाकर उक्त नियमों के नियम 13(3) का स्पष्ट रूप से उल्लंघन करना प्रमाणित है, परिणामस्वरूप आवंटन निरस्ती योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाता है तथा विपक्षी शंकरलाल पिता छबीलाल सोनी निवासी बडौदा के नाम आदेश कमांक / एसडीओ / निजीवन / भू0अ0 / 6534–36 दिनांक 30.5.1985 द्वारा मौजा बडौदा के आराजी नम्बर 5899 / 5547 रकबा 1.6180 है0 किस्म सुखी तृ0 भूमि निजी वन विकास हेतु आवंटन की गई थी। पटवारी रिपोर्ट अनुसार विपक्षी द्वारा मौजा बडौदा के खसरा न0 5899 / 5547 रकबा 1.6180 है0 आवंटित भूमि में करीब 25 वर्ष अवधि के लिए लीज पर किया गया आवंटन निरस्त किया जाता है। तहसीलदार आसपुर उक्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर राजस्व रिकॉर्ड में बिलानाम सरकार दर्ज करें। निर्णयानुसार पालनार्थ उपखण्ड अधिकारी आसपुर तथा तहसीलदार आसपुर को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2025 को मेंरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल में शुमार होकर नंबर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(दिनेश धाकड)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डूंगरपुर (राजस्थान)